न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 09/2019

अपीलान्ट्स

भंवर सिंह पुत्र मोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी – ग्राम रावटी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर, ठिकाना – शुगर मिल के पास, मण्डोर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक वन संरक्षक जोधपुर के पीठासीन अधिकारी श्री भीकाराम पूनिया द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 794/2011 बअनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम भंवर सिंह में दिनांक 18.04.2017 को पारित करते हुए अपीलान्ट की बेदखली का आदेश पारित किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओ0 पी0 बूब उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–14.11.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश न्यायालय सहायक वन संरक्षक जोधपुर के पीठासीन अधिकारी श्री भीकाराम पूनिया द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 794/2011 बअनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम भंवर सिंह में दिनांक 18.04.2017 को पारित करते हुए अपीलान्ट के बेदखली का आदेश पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया है।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां दिनांक 16.06.2017 को प्रस्तुत की गई। श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 11.01.2019 को इस न्यायालय में सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड न्यायालय, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री ओ0 पी0 बूब ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 794/11 बअनवान राज्य सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम भंवर सिंह में दिनांक 18.04.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध व एक पक्षीय कार्यवाही के तहत पारित किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी (अपीलान्ट) को जो नोटिस जारी किये गये। उनमें से किसी भी नोटिस की तामिल नहीं हुई। अप्रार्थी को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत और विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों पर पारित किया गया है और दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित किया गया है। सहायक वन संरक्षक द्वारा विधिनुसार आदेश पारित किया गया है इसलिये उक्त अपील काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया एवं अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वनपाल द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर न्यायालय, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर में प्रकरण दर्ज करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया लेकिन नोटिस की विधिवत् तामिल नहीं होने के कारण अप्रार्थी (अपीलान्ट) को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः प्रेषित करना उचित समझते है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक वन संरक्षक, जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 को एतद् निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से नियमानुसार आदेश पारित करे। अपीलान्ट को निर्देश है कि वह आदेश दिनांक के एक सप्ताह के भीतर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, जोधपुर में उपस्थित देवें। निर्णय की प्रति मय अभिलेख सहायक वन संरक्षक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 19:13:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: